(क) नक्सल प्रभावित राज्यों के लिए पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना पर व्यय की जाने वाली राशि में केन्द्र व राज्यों की प्रतिशतता कितनी-कितनी है;

(ख) क्या नक्सल प्रभावित राज्यों ने पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत, राज्य के बजट आबंटन में वृद्धि किये जाने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**उत्तर**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)

**(क) वर्ष 2005-06 में सुरक्षा से सम्बन्धित मंत्रिमण्डल समिति ( सी सी एस) द्वारा राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए अनुमोदित योजना के अधीन नक्सल प्रभावित राज्य नामत: आध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उड़ीसा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल केन्द्रीय सहायता के 75% के लिए पात्र थे और सम्बन्धित राज्य सरकार को स्कीम के राज्य के हिस्से के रूप में 25% देना था।**

 **वर्ष 2005-06 में अनुमोदित पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना (एम पी एफ स्कीम) वर्ष 2009-10 में समाप्त हो गई थी। इस योजना को बाद में सी सी एस के अनुमोदन से दो बार अर्थात वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए बढ़ाया गया था और बढ़ायी गई अवधि भी दिनांक 31.03.2012 को समाप्त हो गई है। वित्तीय वर्ष 2012-13 से एम पी एफ स्कीम को बढ़ाए गए वित्तीय आबटनों सहित अंशत: योजनेतर और अंशत: योजनागत के तहत पांच वर्षों की अवधि (2012-13 से 2016-17 तक) के लिए फिर से बढ़ाए जाने के प्रस्तावों पर अनुमोदन प्राप्त करने के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जा रही है।**

**(ख) से (ग) पूर्व में, गृह मंत्रालय को एम पी एफ योजना के अधीन वार्षिक कार्रवाई योजना प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय नक्सल प्रभावित राज्यों सहित राज्य सरकारों द्वारा बढ़ाई गई निधियों के आबंटन की मांग की गई है। तथापि, एम पी एफ योजना के अधीन राज्यों को किया जाने वाला केन्द्रीय आबंटन वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए आबंटन, अन्य राज्यों की मांग, सुरक्षा परिदृश्य और सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा निधियों की उपयोगिता पर आधारित होता है़ ।**

 **उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल, 2012 में अपने पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए उत्तर प्रदेश को 800 करोड़ रुपए की वार्षिक केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया था। गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को यह सूचित कर दिया गया है कि जैसे ही वर्ष 2012-13 से अगले पांच वर्षों के लिए वित्त पोषण को अंतिम रुप दे दिया जाता है, वैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार को योजना के तहत निधियों के आवंटन का देय अंश मिल जाएगा।**